न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः- **अशोक कुमार, आर.ए.एस.**

राजस्व वाद संख्या :- **136/2023**

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- **2023/367**

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
आदूराम चौधरी पुत्र राऊराम जाति जाट निवासी होडू तहसील गुड़ामालानी हाल सिमालिया तहसील पचपदरा		1.खंगारसिंह पुत्र गंगासिंह 2.गणपतसिंह पुत्र गंगासिंह 3.नारायणसिंह पुत्र गंगासिंह निवासी सिमालिया तहसील पचपदरा 4.अचलाराम पुत्र देराजराम जाति जाट निवासी होडू तहसील गुड़ामालानी 5.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

<u>उपस्थिति-</u>

1. श्री रूगाराम कड़वासरा,अधिवक्ता वादी
2. प्रतिवादी एकतरफा

:-निर्णयः-

दिनांक 19.03.2026

1.संक्षिप्त में वाद-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम सिमालिया तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 386/158 क्षेत्रफल 11.6630 हैक्टयर भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है। वादी का अपने हक हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है,लेकिन वादग्रस्त भूमि में वक्त खरीद वादी का वास्तविक नाम आदूराम चौधरी के स्थान पर आईदानराम अंकित होने के कारण आदिनांक रेकर्ड में गलत नाम इन्द्राज चला आ रहा है। जिसके कारण वादी को क्षति हो रही है। अतः वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि में दायर अशुद्ध प्रविष्टि नाम आईदानराम के स्थान पर सही नाम प्रविष्टि आदूराम चौधरी इन्द्राज करवानें हेतु वाद-पत्र पेश किया गया है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

2.वादी का वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से इकबाली जबाव पेश किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 5 बावजूद तामीली होने के उपरांत भी उपस्थित नही होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.प्रतिवादी की ओर से इकबाली जवाब पेश किए जाने के कारण विवाद के बिन्दु विरचित नहीं होने के कारण वादी के वाद-पत्र में वांछित अनुतोष को ही तनकीयात मानी गई। वादी साक्ष्य में स्वंय वादी आदूराम चौधरी द्वारा लिखित बयानात स्वरुप शपथ पत्र पेश किया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 से 16 की प्रमाणित प्रति प्रदर्शित करवाए गए।

4.उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस मे निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम सिमालिया तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 386/158 क्षेत्रफल 11.6630 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा है। वादी अपने हक हिस्सेनुसार मौके पर काबिज है,लेकिन वादग्रस्त भूमि वक्त खरीद के समय मानवीय भूलवंश वादी का नाम आदूराम चौधरी के स्थान पर आईदानराम अंकित होने के कारण आदिनांक रेकर्ड में अशुद्ध नाम की प्रविष्टि चली आ रही है,जो एक एरर एपिरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रेकर्ड है,जो कि एक लिपिकीय त्रुटिवंश दर्ज हो रखी है,जबकि अन्य सरकारी दस्तावेजात में वादी का वास्तविक आदूराम चौधरी दर्ज है,लेकिन वादग्रस्त भूमि में वादी का अशुद्ध नाम इन्द्राज होने के कारण वादी को किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का परिलाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। वादग्रस्त भूमि में वादी का वास्तविक नाम आदूराम चौधरी के स्थान पर गलत नाम इन्द्राज होने के कारण वादी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि वादी की ओर से अपनी दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो से भी साबित किया गया है कि वादी का वादग्रस्त भूमि मे अशुद्ध नाम प्रविष्टि इन्द्राज हो रखी है,जो वादी शुद्ध नाम प्रविष्टि इन्द्राज करवाने का हकदार है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि में अशुद्ध नाम आईदानराम के स्थान पर वास्तविक नाम आदूराम चौधरी इन्द्राज किए जाने के आदेश किए जावें।

5.**हमनें** उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात व बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम सिमालिया तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 386/158 क्षेत्रफल 11.6630 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिसमें वादी का अशुद्ध नाम इन्द्राज होना बताया है। जबकि पत्रावली के संलग्न प्रदर्श 3-उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी मुख्यालय बाड़मेर द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र क्रमांक1119/31.10.1996,प्रदर्श 4-माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

माध्यमिक परीक्षा 1996 अंक तालिका क्रमांक 313394,प्रदर्श 5-जन आधार कार्ड,प्रदर्श 6-माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी उच्च माध्यमिक परीक्षा 1998 अंक तालिका क्रमांक 008074,प्रदर्श 7-एस.बी.बी.जे.शाखा होडू द्वारा जारी बैक डायरी,प्रदर्श 8-वोटर कार्ड,प्रदर्श 11 व 12 थार ग्रामीण बैक शाखा होडू व परिवार राशन कार्ड में वादी का नाम आदूराम नाम दर्ज है। इसके अलावा वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 4 ने वादी के वाद-पत्र को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब पेश किया गया है। इससे प्रमाणित होता है कि वादी का वादग्रस्त भूमि में अशुद्ध नाम प्रविष्टि इन्द्राज हो रखा है,जो वादी दुरुस्ती करवाने का हकदार है। इस प्रकार वादी अपने वाद-पत्र को दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में बखूबी सफल रहा है। ऐसी सूरत में वादी का वाद-पत्र स्वीकार योग्य है।

06.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि वादी वादग्रस्त भूमि में अपना अशुद्ध नाम आईदानराम के स्थान पर आदूराम दुरुस्त करवानें का हकदार है। ऐसी सूरत में वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

-:निर्णय:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद-पत्र वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम-सिमालिया तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 386/158 क्षेत्रफल 11.6630 हैक्टयर भूमि में वादी का अशुद्ध नाम प्रविष्टि आईदानराम पुत्र राऊराम के स्थान पर सही प्रविष्टि आदूराम चौधरी पुत्र राऊराम दुरुस्त किए जाने के आदेश दिए जातें है,शेष बदूस्तर रहेंगा। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार) 19/03/2026
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 19.3.2026 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

19/03/2026
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

डिक्री–पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– **अशोक कुमार, आर.ए.एस.**

राजस्व वाद संख्या :– **136/2023**

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– **2023/367**

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
आदूराम चौधरी पुत्र राऊराम जाति जाट निवासी होडू तहसील गुड़ामालानी हाल सिमालिया तहसील पचपदरा		1.खंगारसिंह पुत्र गंगासिंह 2.गणपतसिंह पुत्र गंगासिंह 3.नारायणसिंह पुत्र गंगासिंह निवासी सिमालिया तहसील पचपदरा 4.अचलाराम पुत्र देराजराम जाति जाट निवासी होडू तहसील गुड़ामालानी 5.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद बाबतः–88 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :–19.3.2026

वादी की ओर से श्री रूगाराम कड़वासरा अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी एकतरफा,इस वाद में आज तारीख 19.3.2026 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:–वादी वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–सिमालिया तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 386/158 क्षेत्रफल 11.6630 हैक्टयर भूमि में वादी का अशुद्व नाम प्रविष्टि आईदानराम पुत्र राऊराम के स्थान पर सही प्रविष्टि आदूराम चौधरी पुत्र राऊराम दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जातें है,शेष बदूस्तर रहेंगा। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

यह आज तारीख 19.3.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

19/03/2026

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

राजस्व वाद संख्या 136 / 20
आदूराम चौधरी बनाम खंगारसिं

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4...........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों,के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	रूपया –	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	रूपया -----
जोड़	–	जोड़	----

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा